305

संख्या– 1552 /XVIII(1)/2015-02(10)/2009

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांकः** 20 नवम्बर, 2015

विषयः–राजस्व ग्राम के गठन हेतु मानकों को निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में राज्याधीन पृथक राजस्व ग्राम के गठन हेतु कुल खसरा नम्बरान्, प्रस्तावित राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल, संक्रमणीय भूमिधरों के भूमि का क्षेत्रफल, खातेदारों की संख्या, कृषि भूमि के उपयोग का क्षेत्रफल, आवागमन के साधन एवं पूर्व सृजित राजस्व ग्रामों से प्रस्तावित राजस्व ग्राम की दूरी इत्यादि के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु निम्न मानक निर्धारित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. पृथक राजस्व ग्राम के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 250 की जनसंख्या अथवा 50 परिवार तथा मैदानी क्षेत्रों में 500 की जनसंख्या अथवा 100 परिवार होनी चाहिए, किसी भी दशा में एक परिवार या एक व्यक्ति की गणना मूल राजस्व ग्राम व प्रस्तावित राजस्व ग्राम के लिए नहीं की जायेगी, भले ही सम्बन्धित परिवार या व्यक्ति दोनों ही गाँवों का खातेदार क्यों न हो।
2. पृथक राजस्व ग्राम के गठन हेतु मूल ग्राम की अनापत्ति/सहमति होनी आवश्यक होगी इसके लिए मूल ग्राम सभा की खुली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जायेगा।
3. मूल ग्राम से पृथक होने वाले ग्राम की दूरी पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 01 किलोमीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 05 कि0मी0 होनी चाहिए।
4. पृथक होने वाले राजस्व ग्राम में मूल ग्राम की कम से कम 1/3 कृषि योग्य भूमि का होना आवश्यक होगा।
5. पर्वतीय क्षेत्रों में पृथक राजस्व ग्राम के गठन हेतु यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि मूल ग्राम एवं पृथक हुए ग्राम के निवासियों के पारस्परिक हक हकूकों को लेकर भविष्य में कोई विवाद न हो तथा मूल ग्राम नवसृजित ग्राम के सामुदायिक हक हकूकों का निर्धारण यथासमय प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व कर लिया जाय। सामुदायिक हक हकूकों का परीक्षण, प्रस्ताव तैयार करते समय अवश्य कर लिया जाय।
6. मैदानी जनपदों में जहां चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) की विज्ञप्ति के पश्चात् चकबंदी की कार्यवाही आरम्भ हो गई है, क्या वहां चकों का निर्माण प्रस्तावित राजस्व ग्राम विभाजन अथवा विलयीकरण के अनुसार किया गया है ? इसे भी प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यथासमय सुनिश्चित कर लिया जाय।
7. पुनर्गठित ग्रामों की सीमाएं यथा संभव भौगोलिक एवं प्राकृतिक हो, तथा यह भी प्रयास किया जाय कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में पुनर्गठित ग्राम में सम्मिलित किये जाने वाले 'तोक' की आबादी व खेतों का विभाजन न हो।
8. राजस्व ग्राम गठन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते समय मूल ग्राम एवं प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम का प्रस्तावित क्षेत्रफल पृथक–पृथक जिसमें जेड0ए0 व नॉन जेड0ए0 भूमि का अलग–अलग क्षेत्रफल, वन/वन

2–

पंचायत भूमि का अलग–अलग क्षेत्रफल (दोनों ग्रामों का), कुल खसरा नम्बरों की पृथक–पृथक (ग्रामवार) संख्या, कृषि एवं अकृषित भूमि का पृथक–पृथक ग्रामवार क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या/परिवारों की संख्या (दोनों ग्रामों की पृथक–पृथक जनसंख्या), दोनों ग्रामों में आवागमन के साधनों के विवरण के आधार पर पुनर्गठन के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आवश्यक होगा।

9. राजस्व गाँव के पुनर्गठन में मूल राजस्व गाँव व नव प्रस्तावित राजस्व गाँव के लिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–32 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने होंगे। राजस्व ग्राम को प्रस्तावित किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी स्तर पर सह–जोतदारी की वर्तमान स्थिति व सजरों के स्थलीय सत्यापन के आधार पर गहन परीक्षण किया जाना आवश्यक है, तथा राजस्व ग्राम के वर्तमान राजस्व अभिलेखों के आधार पर पुनर्गठन के उपरांत सृजित राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेखों को तैयार करने के लिए अभिलेखीय कार्यवाही के साथ–साथ सर्वेक्षण प्रक्रिया तथा चकबंदी की कार्यवाही राजस्व ग्राम के गठन से पूर्व आवश्यक है या नहीं, इसका उल्लेख विधिक औचित्य के साथ राजस्व ग्राम के गठन के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप में किया जाय, तथा राजस्व ग्राम के गठन का प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की संस्तुति सहित राजस्व परिषद को उपलब्ध कराया जाय, तथा राजस्व परिषद द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को अपेक्षित अभिलेखों एवं मानचित्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

10. राज्य सरकार राजस्व ग्राम के गठन के लिए आवश्यक उपरोक्त मानको में से किसी भी मानक/मानकों को अपवाद–स्वरूप विशेष परिस्थितियों में शिथिल कर सकेगी।

2– नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु निर्धारित मानक तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3– अतः राज्यान्तर्गत नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना/करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या–1552/XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री को मा0 राजस्व मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

Letter.doc